संख्या–1145 / XVI / 07 / 7(79) / 2007

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः 1 देहरादूनः दिनांक / 7 दिसम्बर,2007

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 की आयोजनेत्तर योजना–0701–अधिष्ठान की मद–24–वृहद निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2412 / रेशम / तक0अनु0 / बजट / 2007–08 / दिनांक–22 / 09 / 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, पेयजल निर्माण निगम,देहरादून द्वारा रेशम निदेशालय प्रेमनगर में टाईप–IV के एक आवासीय भवन के निर्माण हेतु गठित आगणन की धनराशि रू0–11.55 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत **रू0–10.23 लाख (रूपये दस लाख तेईस हजार मात्र)** की लागत के **संलग्न प्रारम्भिक आगणन** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करा लिया जाय, तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, एवं बाजार भाव से ली गई हों, का अनुमोदन भी नियमानुसार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से करा लिया जाय। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना ऐसी स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाये,तथा निर्माण कार्य करने से पूर्व पुनः लो0नि0वि0 की दरों पर दर–विश्लेषण कर कार्यदायी संस्था के अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करा ली जाय।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य स्थल का मृदा परीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा मृदा परीक्षण आख्या में दिये गये सुझावों के अनुसार भवन निर्माण कार्य किया जाय।
–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानकों से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेता के साथ अवश्य करा लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें, साथ ही भूकम्प रोधी डिजाइन व तकनीक का प्रयोग निर्माण में अवश्य किया जाय।

.....2 / –

7–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8–निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 2047/XIV–219/2006, दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का, कार्य कराते समय अथवा आंगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10–जी0पी0डब्लू फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा,तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12–उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, रेशम के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

13–इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 मे रेशम विकास विभाग उत्तराखण्ड के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर–119–बागवानी सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास 0701–अधिष्ठान के अन्तर्गत उपमानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–**261(NP)XXVII**–4/2007, दिनांक–07 दिसम्बर,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–1145/XVI/07/7(79)/2007 तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. परियोजना प्रबन्धक,उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, देहरादून।
6. जिलाधिकारी,देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।